

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 863/2015)

(संस्थित दिनांक :- 05/11/15)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. मोहन सिंह तोमर पुत्र लायक सिंह उम्र 57 वर्ष

निवासी — वार्ड क्रमांक 12 मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण ।

// निर्णय //

( आज दिनांक : 04/10/2016 को घोषित )

01. अभियुक्त मोहन सिंह पर भा.द.सं. की धारा 324 एवं 325 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 16/09/2015 को शाम लगभग 07:00 बजे फरियादी अर्जुन सिंह का घर स्थित पण्डपुरा स्यौड़ा रोड़ मौ में, फरियादी अर्जुन को दाँतों से काटकर एवं डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अर्जुन की माँ गायत्री देवी की डण्डे से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना स्वीकृत निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 16/09/2015 को शाम लगभग 07:00 बजे फरियादी अर्जुन सिंह का घर स्थित पण्डपुरा स्यौड़ा रोड़ मौ में, आरोपी द्वारा फरियादी अर्जुन को दाँतों से काटने एवं उसकी माँ गायत्री देवी की डण्डे से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अर्जुन सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/15 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत गायत्री देवी के एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होना का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी मोहन सिंह से एक डण्डा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी अर्जुन सिंह, आहत गायत्री देवी, साक्षी उत्तम सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 एवं 325 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी

का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत गायत्री देवी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 325 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मोहन सिंह ने दिनांक :- 16/09/2015 को शाम लगभग 07:00 बजे फरियादी अर्जुन सिंह का घर स्थित पण्डपुरा स्यौड़ा रोड़ मौ में, फरियादी अर्जुन को दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी अर्जुन सिंह अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मोहन सिंह को जानता है, मोहन सिंह उसके पिता है। गायत्री उसकी माँ है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी मम्मी एवं पापा का मुँहवाद हो गया था, जिसमें बीच-बचाव में उसे चोट आ गई थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी अर्जुन सिंह अ.सा.04 ने आरोपी द्वारा उसे दाँतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर चोट पहुँचाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी अर्जुन सिंह अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना सूचना प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. अभियोजन साक्षी/आहत गायत्री देवी अ.सा.01 एवं उत्तम सिंह अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी मोहन सिंह द्वारा फरियादी अर्जुन सिंह को दाँतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपी एवं फरियादी/आहत गायत्री के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी/आहत अर्जुन अ.सा.04 एवं गायत्री अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी ने दिनांक : 16/09/2015 को शाम लगभग 07:00 बजे फरियादी अर्जुन सिंह का घर स्थित पण्डपुरा स्यौड़ा रोड़ मौ में, फरियादी अर्जुन को दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

10. अभियोजन आरोपी मोहन सिंह के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में आरोपी मोहन सिंह से जब्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद